फीजी सामाजिक सुरक्षा COVID-19 प्रतिक्रियाँ और प्रणाली विकास प्रोजेक्ट

प्रकृति 2.0 फीजी प्रोजेक्ट के लिए नौकरियाँ

JFN2 प्रोजेक्ट के अर्जीकर्ताओं के लिए प्रश्न/उत्तर

प्रश्न	उत्तर
कौन अर्जी कर सकता है ?	कोई भी सम्प्रदाय, कॉपरेटिव या संगठित समूह जो नियमित रूप से रेजिस्टर्ड हो जैसे कॉपरेटिव, युवा समूह, महिला समूह ।
अर्जीकर्ता को अर्जी पत्र कहाँ मिल सकता है ?	अर्जी पत्र मिनिस्ट्री ऑफ इनवायर्मेन्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इ तउकैइ,मिनिस्ट्री ऑफ इकोन्मी, मिनिस्ट्री ऑफ भुथ्स् और स्पोट्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, च्युडरेन और पोर्वटी एलेविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ रुरल और मरीनटाएम डिवेलोप्मेन्टसे डाउनलोड किया जा सकता है । अर्जी पत्र (हार्ड कॉपी) इ तउकैइ प्रोविशनल कॉसिल ऑफिस, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरिमेन्ट डिविशनल ऑफिस (केंद्रिंय, पश्चिमी, उत्तरी) के साथ-साथ मिनिस्ट्री ऑफ भुथ्स् और स्पोट्स्के विभागीय कार्यालयों में उपलब्ध हैं ।
अर्जीकर्ता कैसे अर्जी पत्र को प्राप्त कर सकता है और भेज सकता है ?	अर्जी पत्र मंत्रालय के वेबसाइटों से डाउनलोड किया जा सकता है और jobs4nature2@gmail.com. पर भेजा जा सकता है ? वैकल्पिक रूप से पेपर फॉर्म का अनुरोध किया जा सकता है । और सीधे, मिनिस्ट्री ऑफ इ तउकैइ प्रोविशनल कॉसिल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरिमेन्ट डिविशनल ऑफिस (केंद्रिंय, पश्चिमी, उत्तरी) साथ-साथ मिनिस्ट्री ऑफ भुथ्स् और स्पोट्स के विभागीय कार्यालयो में भेज सकते हैं ।

प्रस्ताव के लिए कितनी बार अर्जी बुलाई जाएगी ?	अर्जियों के लिए 2025 तक हर छह महीने में अर्जी बुलाई जाएगी । यानी साल में दो बार ?
अर्जी का क्या उद्देश्य होना चाहिए ?	अर्जीकर्ता को नीचे दी गई गतिविधियों की पूर्व-निर्धारित सुची के अनुसार सामाजिक कार्यों के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने होंगे: **वेटलेन्ड प्रोटेक्शन** ▪ मैंग्रोव बोना ▪ सीग्रास प्लांटिंग ▪ रिस्टोरिंग वॉटरवेइस ▪ वइस्ट और वइस्टवॉटर मेनेजमेन्ट ▪ **रिवरबैंक रिहेबलीटैशन और कॉस्टल बैंक प्रोटेक्शन** ▪ मेंग्रोव रोपण ▪ वेटिवर घास रोपण **बायोडायवर्सीटी को बढ़ावा देना** ▪ वण की सुरक्षा ▪ देशी वृक्षारोपण के माध्यम से धरती को उन्नत करना, ▪ कॉरल रीफ की सुरक्षा
अर्जीकर्ता को किस प्रकार के कागजात प्रस्तुत करना होगा ?	अर्जीकर्ता को अपनी सर्वोतम क्षमता अनुसार अर्जीपत्र और प्रस्ताव पत्र दोनों को भलिभाँति भरना होगा । उन्हें दो सदस्यों (कानूनी या चुने गए प्रतिनिधि यों) की पहचान दस्तावेज और उनके सभी सदस्यों के पूरा नाम, लिंग और उम्र के साथ एक सूची भी देनी होगी
अर्जीकर्ता अर्जी पत्र की जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता है और इसे कैसे भर सकता है ?	प्रोजेक्ट की जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरिमेन्ट,मिनिस्ट्री ऑफ इ तउकैइ ,मिनिस्ट्री ऑफ इकोन्मी और मिनिस्ट्री ऑफ भुथ्स् और स्पोट्स् की वेबसाइटों के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त की जा सकती है ।
अर्जीकर्ताओं का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाएगा?	अर्जीकर्ताओं का मूल्यांकन इन आधारों पर किया जाएगा : • उनकी योग्यता: समूह का लक्ष्य/जनादेश, सामाजिक कार्यों में अनुभव कवरेज, समावेशन (महिलाओं, युवा)। प्रस्तावों का मूल्यांकन इन आधारों पर किया जाएगा : • जिनमें शामिल है वर्नवल गुप, सोशल वेनेफिसरिस, महिलाओं औरयुवाएँ ।

	• कार्यों में सक्रिय महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की क्षमता ।
अर्जीकर्ताओं की अर्जी के लिए बुलावे का परिणाम कब और कैसे पता चलेगा ?	अर्जी बन्द होने के बाद, प्राप्त सभी अर्जियों और प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा । प्रदान की गई जानकारी कीसत्यता और विश्वसनीयता की जांच के लिए क्षेत्र के दौरे की आवश्यकता हो सकती है । प्रक्रिया का नेतृत्व एक बहु-मंत्रालयी तकनीकी कार्य समूह द्वारा किया जाएगा औरइसमें एक महीने तक का समय लग सकता है । चयन होने के बाद, प्रत्येक अर्जीकर्ता को ईमेल द्वारा औपचारिक परिणाम प्राप्त होगा। जरूरत पड़ने पर उनसे फोनपर भी संपर्क किया जा सकता है ।
यदि अर्जीकर्ता के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जाती है तो क्या वे इसकी वजह जान सकते हैं ?	हाँ, वेबसाईट के माध्यम से लिखित रूप से वजह का अनुरोध किया जा सकता है । वैकल्पिक रूप से, यह फोनद्वारा भी अनुरोध किया जा सकता है । उस स्थिति में, अनुरोध रेजिस्टड होगा और संबंधित कर्मचारी अर्जीकर्ता से संपर्क करेंगे ।
क्या वही अर्जीकर्ता अगले बार दोबारा अर्जी कर सकता है ?	यदि अर्जी अस्वीकार होता है तो अगले बार पुन: अर्जीकर्ता अर्जी दे सकता है । यदि अर्जी स्वीकार होता जाता है, तो अजीकर्ता अपनी उप-प्रोजेक्ट के समापन और संतोषजनक ढ़ंग से मूल्याकंन के बाद ही फिर से अर्जी कर सकता है ।
क्या प्रस्ताव के बजट की कोई सीमा है ?	हाँ, 20,000 प्रत्येक प्रस्ताव के लिए स्वीकार्य अधिकतम बजट है । प्रस्ताव की गतिविधियों और बजट का मूल्याकंन किया जाएगा ।
बजट का उपयोग किस लिए किया जा सकता है ?	बजट का उपयोग केवल मजदूरों के वेतन को देने के लिए किया जा सकता है । (बजट वॉल्ड बैंक फण्ड अलोकेशन निधि को प्रस्तुत करता है)
अर्जीकर्ता को कार्यों के पूर्ण करने के लिए आवश्यक उपकरण, सामान और रोपण समाग्री कैसे मिलेगी ?	फीजी सरकार इन कार्यक्रमों को परिपूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी - खर्ज और सामाग्री की खरीद पर ध्यान केंद्रित करेगी । अर्जीकर्ता से अनुरोध है कि इन आवश्यकताओं को अपने प्रोजेक्ट प्रस्ताव में शामिल करें ।
कॉपरेटिव/ सामाजिक समूह को कब पैसे प्राप्त होंगे ?	पैसे भागों में मिलेगी । राशि पहला बहट के 40% के बराबर, दूसरा 30% के बराबर और तीसरा 30% के बराबर ।

	पैसे प्रत्येक कार्य पूर्ण होने के बाद/ लक्ष्य प्राप्ति के बाद ही दिया जाएगा जैसे कि पस्ताव और अनुबंध (contract) में लिखा गया है । प्रत्येक लक्ष्य पूरा करने के बाद कॉपरेटिव/ सामाजिक समूह पैसे लौटाने का अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।
क्या रेजिस्टड, कोपरेटिव कामेटी समूह को काम के घटों और व्यक्तिगत मजदूरों को पैसे देने का रिकॉड रखना चाहिए ?	हाँ, सफल समूहों को काम किए गए घंटों और भुगतान की गई मजदूरी का रिकॉर्ड रखना चाहिए । मजदूरी भुगतान रिकॉर्ड फॉर्म, मजदूरों द्वारा हस्ताक्षरित, धन के बितरण से पहले जमा किया जाना चाहिए ।
सफल कॉपरेटिव/समूहों को कैसे धन प्राप्त होगा ? क्या उन्हें एक समर्पित बैंक खाता खोलने की आवशयकता है ?	उप- प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, प्रत्येक कॉपरेटिव/ सामाजिक समूह को व्यवासाहिक बैंक के साथ एक समार्पित खाता खोलना होगा जिसका उपयोग विशेष रूप से उप-प्रोजेक्ट निधियों को ट्रांस्फर करने के लिए किया जाएगा । JFN2 कार्यक्रम बैंक ट्रांस्फर के माध्यम से सफलतापूर्वक कॉपरेटिव/कॉम्युनिटी ग्रुप को उप-प्रोजेक्ट निधि हस्तांतरित करेगा ।
क्या सफल कॉपरेटिव/ सामाजिक समूह को कार्य स्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना चाहिए ?	कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का सम्मान किया जाना चाहिए । उप-प्रोजेक्ट गतिविधियों की शुरूआत सेपहले संभाावित समस्या और समाधान उपार्यो की एक सूची पर सहमति होगी ।
उप- प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए व्यक्तियों का कम से कम क्या उम्र होना चाहिए ?	मजदूरों की आयु कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। उप-प्रोजेक्ट में किसी कम उम्र वाले को कार्य करने की अनुमति नहीं है ।
क्या कोई शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है, यदि कि सी को लगता है कि चयन	हाँ, कोई भी व्यक्ति JFN2 प्रोग्राम वेबसाईट द्वारा उपलब्ध कराए गए या नीचे सूचीबंध चैन में से किसी एक का उपयोग करके शिकायतप्रस्तुत कर सकता है ।

प्रक्रिया अनुचित या गलत है ?	विभाग/प्रांतीय कार्यालयों में मंत्रालय के अधिकारियों के प्रोजेक्ट अधिकारियों को शिकायतें सीधे प्रस्तुत की जा सकती हैं, जो शिकायतकर्ताओं को संबंधित फॉर्म भरने में मदद कर सकते हैं । सभी प्रस्तुत शिकायतों को 5-10 दिनों के भीतर हल किया जाएगा ।
कौन शिकायत दर्ज कर सकता है ?	कोई व्यक्ति जो इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है, शिकायत दर्ज करा सकता है ।
कैसी शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है ?	JFN2 कार्यक्रम से संबंधित होनी चाहिए । जिन शिकायतों का कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है, उन्हें संबंधित संस्थानों (जुदिशरी/पुलिस) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । कोई भी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है इसके बारे में • कार्यक्रम से संबंधित एक मुद्दा, • कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से असंतोष; • प्रोजेक्ट के नकरात्मक प्रभाव; • कार्यक्रम जिनमें शामिल है दुर्व्यवहार: धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार । • कार्यक्रम से संबंधित छटनाएँ
शिकायत कैसे दर्ज करें ?	शिकायतं ईमेल द्वारा jobs4nature2@gmail.com, पर फोन द्वारा 9908115/9908610 / 9929258 / 9920440 पर इ तउकैइ प्रोविशनल कॉसिल ऑफिस,और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरिमेन्ट डिविशनल ऑफिस (केंद्रिंय, पश्चिमी,उत्तरी)के साथ-साथ मिनिस्ट्री ऑफ इकोन्मी में उपलब्ध शिकायत प्रत्र भरकर जमा की जा सकती हैं ।
क्या कोई शिकायत दर्ज कराते समय गुमनाम रह सकता है ?	हाँ. कोई गुमनाम रहने का अनुरोध कर सकता है । हालांकि, गुमनाम शिकायतकर्ताओं से संपर्क नहीं किया जा सकता है और उनकी शिकायत के समाधान की बातें सूचित नहीं किया जा सकता है ।
शिकायतों से कैसे पेश आया जाएगा ?	प्राप्त की गई जानकारियों का उपयोग केवल भीतरी जांच के लिए किया जाएगा । सभी व्यक्तिगत जानकारियाँ सुरक्षित रहेगी, केवल अधिकृत कर्मचारियों द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा व इसका खुलासा नहीं होगा/ शिकायत के समाधान/स्थिति के बारे में शिकायतकर्ता को शिकायत के 30 दिनों के अन्दर ही सूचित किया जाएगा ।

शिकायतकर्ता को शिकायत समाधन की सूचना कैसे दी जाएगी ।	शिकायत समाधान को उसी चैनल के समाधान को उसी चैनलके माध्यम से संप्रेषित किया जाएगा जिसका उपयोगइसे प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है(इमेल किया जाएगा यदि इमेल पता है, फोन पर यदि फोन नम्बर है तो) शिकायतों का समाधान जो सामान्य और सामान्य हित के हैं, उपलब्ध चैनलों के माध्यम से जनता या पूरे समुदायको सूचित किया जा सकता है: वेबसाईट, सोशल मीडिया, रेडियो, सार्वजनिक सभा, आदि ।